


07.02.2

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधि-
वक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-2
समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई।
कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होगा है कि अधिवक्ता
वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर
नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व
'अदम एजिरी' में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुभार होकर दाखिल दफ्तर
हो व नंबर से कम हो।


सहायक न्यायाधीश
(फाउंडेशन) काजमेर

